शासकीय उपयोग हेतु

प्रतिवेदन क्रमांक - 12

डिहारी कोरवा

का मानवशास्त्रीय अध्ययन

मार्गदर्शन
शम्मी आबिदी (आई.ए.एस)
संचालक

निर्देशन
डी.पी नागेश
उप संचालक

संकलन एवं लेखन कार्य
श्रीकांत कसेर (सहायक संचालक)
निलेश कुमार सोनी, जी.एल. बलेन्दर (अनुसंधान सहायक)

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर (छ.ग.)

शासकीय उपयोग हेतु

प्रतिवेदन क्रमांक - 12

डिहारी कोरवा
का मानवशास्त्रीय अध्ययन

मार्गदर्शन
शम्मी आबिदी (आई.ए.एस)
संचालक

निर्देशन
डी.पी नागेश
उप संचालक

संकलन एवं लेखन
श्रीकांत कसेर (सहायक संचालक)
निलेश कुमार सोनी (अनुसंधान सहायक)
जी.एल. बलेन्दर (अनुसंधान सहायक)

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर (छ.ग.)

अनुक्रमाणिका

क्र.	अध्याय	विवरण	पृ.क्र.
1	अध्याय – एक	प्रस्तावना	1 - 5
2	अध्याय – दो	आर्थिक जीवन	6 - 13
3	अध्याय – तीन	जीवन चक्र	14 - 19
4	अध्याय – चार	सामाजिक जीवन	20 - 25
5	अध्याय – पांच	शैक्षणिक स्थिति	26 - 27
6	अध्याय – छः	भौतिक संस्कृति	28 - 31
7	अध्याय – सात	धार्मिक जीवन	32 - 35
8	अध्याय – आठ	लोक परम्पराएं	36 - 37
9	अध्याय – नौ	परिवर्तन समस्यां एवं सुझाव	38 - 42

अध्याय – एक
प्रस्तावना

सामान्य परिचय :–

छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। कोरवा जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा संभाग के सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर एवं जशपुर तथा बिलासपुर संभाग के रायगढ़ एवं कोरबा जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते है। भारत के राजपत्र में छत्तीसगढ़ राज्य हेतु जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में **''कोरवा'' अनुक्रमांक 27** पर दर्ज है। कोरवा जनजाति वर्तमान में दो बर्हिविवाही उप जाति कोरवा और कोडाकू के रूप में विभक्त है। कोरवा पुनः इनके निवास एवं विकास के आधार पर दो भागों में क्रमशः पहाड़ में रहने वाले **पहाड़ी कोरवा** तथा **मैदानी क्षेत्र** में (डीह अर्थात गांव) में रहने वाले **डिहारी कोरवा** में विभक्त है। इनमें से पहाड़ी कोरवा को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कोरवा एवं कोडाकू जनजाति की कुल सम्मिलित जनसंख्या 1,29,429 है। जिसमें 64,866 पुरूष एवं 64,563 महिलाएं शामिल है। कुल जनसंख्या में से 39,851 सदस्य शिक्षित है। जिसमें 23,881 पुरूष एवं 15,970 महिलाएं शामिल है। कोरवा जनजाति की प्रचलित विभिन्न किवदितियों में से एक के अनुसार इनकी उत्पत्ति राम–सीता से मानते है। वनवास काल में राम, सीता व लक्ष्मण धान के खेत के पास से गुजर रहे थे। किसी ने खेत में पशु पक्षियों से फसल की सुरक्षा के लिए कागभगोड़े को धनुष पकड़ाकर खड़ा किया था। सीता माता के कहने पर राम भगवान ने उसमें जान डाल दी। इसे ही कोरवा जनजाति का पूर्वज माना जाता है। इस जनजाति की मुख्य बोली **''कोरवी''** है। किन्तु क्षेत्रीय बोली का भी इनके द्वारा उपयोग किया जाता है।

अध्ययन की प्रविधि :–

कोरवा जनजाति के अध्ययन के लिए सरगुजा संभाग के सरगुजा एवं बलरामपुर जिले का चयन किया गया। जिसमें पारिवारिक अनुसूची, साक्षात्कार एवं अवलोकन के माध्यम से अध्ययन प्रथम तथ्यों का संकलन किया गया है।

उत्पत्ति संबधी अवधारणाए :–

कोरवा जनजाति के उत्पत्ति के संबंध में कोई भी ऐतिहासिक लिखित अभिलेख नहीं है। इन्हें कोलारियन समुह की जनजाति मानी जाती है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न किवंदतिया प्रचलित है। उनमें से एक के अनुसार ये अपनी उत्पत्ति राम–सीता माता से मानते है। वनवास काल में राम, सीता व लक्ष्मण एक खेत के पास से गुजर रहे थे। फसल को पक्षियों से बचाने के लिए किसी ने कागभगोड़ा बनाकर धनुष बाण पकड़ा कर खेत में खड़ा कर दिया था। इस पर सीता माता की नजर पड़ी तो कौतुहलवस उन्होंने भगवान राम से उस कागभगोड़े को जीवन प्रदान करने की इच्छा जाहिर की। भगवान राम ने उस कागभगोड़े को जीवन प्रदान कर जीवित कर दिया। इसे ही कोरवा जनजाति का पूर्वज माना जाता है।

एक अन्य कहानी के अनुसार कोरवा जनजाति के लोग अपने को कौरवो का वंशज मानते है। महाभारत युद्ध में कौरवों के हार के पश्चात् कौरव सेना बिखर गयी। जो लोग युद्ध के बाद बच गये वो मृत्यु से बचने के लिए गुफाओ एवं वन में छिपकर रहने लगे। जो लोग पहाड़ में बस गये वे पहाड़ी कोरवा एवं जो निचे समतल मैदान में बस गये वे कोरवा (डिहारी कोरवा) कहलाने लगे।

निवास क्षेत्र :–

छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा संभाग के सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर एवं जशपुर तथा बिलासपुर संभाग के रायगढ़ एवं कोरबा जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते है। इनके पूर्वज छत्तीसगढ़ राज्य में कई पीढ़ियों से निवासरत है।

अध्ययन क्षेत्र परिचय :–

सरगुजा जिला

सरगुजा संभाग का अस्तित्व छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पूर्व से है। अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य के समय भी इस जिले का विशेष महत्व था। चूकि यह जिला राजाओं से संबंध रखता था। जिले में प्राचीन राजाओं में रक्सेल राजवंश का साम्राज्य था। वर्तमान में भी इस राजवंश के उत्तराधिकारी निवास कर रहे है।सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर से 341 कि.मी. दूरी पर स्थित है। विभाजन के पूर्व यह दूसरा सबसे बड़ा जिला माना जाता था। जिले के पश्चिम में बलरामपुर पूर्व में **कोरबा** दक्षिण में **सूरजपुर** स्थित है।

जिले में 07 तहसील एवं विकासखण्ड अम्बिकापुर, लखनपुर, उदयपुर, लुण्ड्रा, बतौली, सीतापुर, मैनपाट स्थित है। जिले में कुल 579 ग्राम है। सरगुजा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 3751.04 वर्ग कि.मी. है। सुरक्षित वन क्षेत्र 455.853 वर्ग कि.मी. है। वनों में मुख्यत साल, महुआ, सागोन, आम व अन्य वृक्ष पाये जाते है।

बलरामपुर जिला

जिला बलरामपुर सरगुजा जिले को विभाजित कर नया जिला बनाया गया। इसका अस्तित्व 01 जनवरी 2012 को आया। यह जिला सरगुजा जिले के उत्तर पश्चिम में 23–60–67 उत्तर 83–62–03 पूर्व अक्षांस पर स्थित है। जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 3806.08 वर्ग कि.मी. है। जिले में कुल 06 विकासखण्ड बलरामपुर, रामानुजगंज, राजपुर, कुसमी, शंकरगढ़ व वाड्रफनगर है। सभी विकासखण्ड आदिवासी विकासखण्ड है।

बलरामपुर जिले की कुल जनसंख्या 598655 है। जिसमें 3,04,367 पुरूष व 294488 महिला है। प्रति हजार पुरूष के पीछे 1.03 महिला अनुपात है। ग्रामीण जनसंख्या 572249 व शहरी जनसंख्या 26606 है। जिले की जनसंख्या का घनत्व 173 प्रति वर्ग कि.मी. है। जिले में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 371747 है जो कुल जनसंख्या का 62.07 प्रतिशत है अनुसूचित जाति की जनसंख्या 26654 है जो कुल जनसंख्या का 4.45 प्रतिशत है। जिले में कुल ग्राम संख्या 645 एवं 340 ग्राम पंचायत है। जिले की साक्षरता दर 60.36 प्रतिशत है जिले में 06 जनपद पंचायत 01 नगर पंचायत व 26 पटवारी हल्का है। जिले में 122 विद्युतीकरण ग्राम है पेयजल सुविधा 123 ग्राम में उपलब्ध है। 125 ग्राम नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है।बलरामपुर जिला अत्यंत पिछड़ा जिला है। यहां रेल्वे स्टेशन भी नहीं है यह संभागीय जिला मुख्यालय से 90 कि.मी. दूर है। इनकी सीमाएं झारखण्ड एवं बिहार राज्य से लगी हुई है।

जशपुर जिला

जशपुर जिला पूर्व में रायगढ़ जिले का एक हिस्सा था। वर्ष 1998 में पृथक कर नया जिला बनाया गया था। जशपुर जिला राज्य के पूर्व में स्थित है। इसकी सीमाएं पूर्व में

झारखण्ड राज्य पश्चिम से बिलासपुर, **उत्तर में बिहार** एवं दक्षिण में उड़ीसा राज्य स्थित है। जिल में 09 तहसील/विकासखण्ड तथा जशपुर, दुलदुला, कुनकुरी, फरसाबहार, बागबहार, पत्थलगांव, कांसाबेल, बगीचा एवं मनोरा है। जशपुर जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है। सभी विकासखण्ड आदिवासी विकासखण्ड है।

जिले में 646 राजस्व एवं 11 वनग्राम कुल 657ग्राम है। जशपुर जिले की भौगोलिक क्षेत्रफल 4569 वर्ग कि.मी. है। जिसमें से 2553.63 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र है। 1093.706 वर्ग कि.मी. आरक्षित वन 567.750 वर्ग कि.मी. संरक्षित वन है। असीमाकिंत संरक्षित 857.125 वर्ग कि.मी. है। कृषि भूमि 291497 हेक्टेयर है सिंचाई 5 प्रतिशत क्षेत्र में उपलब्ध है। जिले में मुख्यतः उरांव, कंवर, नगेशिया, कोरवा, पहाड़ी डिहारी कोरवा, खड़िया, खैरवार, भुईया आदि जनजातियां निवासरत है। विशेष पिछड़ी जनजातियों में से पहाड़ी कोरवा व बिरहोर इसी जिले में पाये जाते है। बगीचा व मनोरा विकासखण्ड से पहाड़ी कोरवा व कुनकुरी बगीचा, दुलदुला व कांसाबेल में बिरहोर जनजाति पाये जाते है।

रायगढ़ जिला

रायगढ़ जिला राज्य के सुदूर पूर्व भाग में स्थित है। यह बिलासपुर जिले के 21.20 तथा 23.15 उत्तरी अक्षयंश तथा 82.56 तथा 84.24 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, इसके उत्तर में जशपुर जिला दक्षिण पूर्व तक उड़ीसा राज्य की सरहद से 6527.44 वर्ग किलो मीटर के दायरे में फैला रायगढ़ जिला उत्तरीय क्षेत्र जहां बीहड़ जंगल, पहाड़ियों से आच्छादित है वही इसका दक्षिण हिस्सा मैदानी है। जिले में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां, महानदी, माण्ड, केलो, ईब, कन्हर एवं गौर नदियां है। इसमें से कुछ नदियों में वर्ष भर जल प्रवाहित होता है जो कृषि फसल को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराता है।

जिले का नाम रायगढ़ नगर पर पड़ा है जो रायगढ़ जिले का मुख्यालय है। जिले के गठन के पूर्व रायगढ़ एक महत्वपूर्ण सामंती रियासत की राजधानी है। जैसा कि छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेटस गजेटियर में बताया गया है। रायगढ़ नाम की उत्पत्ति 'राई' से हुई है। जिसका अर्थ कटीले वृक्ष की एक प्रजाति से होता है और गढ़ शब्द का अर्थ किला होता है। राई का मानक हिन्दी नाम ''कल्ला'' है जिसका अर्थ डिलिनिया पैन्टागाईना राक्सबी होता है।

छत्तीसगढ़ तथा पार्श्ववर्ती क्षेत्रों में 'गढ़' शब्द का अर्थ आवश्यक रूप से किला ही नहीं होता है। रतनपुर के हैहय शासकों के अधीन गढ़ एक क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई होता था। जिसमें किला होता था या नहीं भी होता था। जो पारंपरिक रूप से 84 गांवों का नियंत्रण रखता था। बाद में इस शब्द से स्थान का अधिक महत्व बढ़ जाने से गढ़ शब्द अन्य अनेक बस्तियों के नाम के साथ भी प्रत्यक्ष रूप से जोड़ दिया गया ।

जनसंख्या :–

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कोरवा एवं कोडाकू जनजाति की कुल सम्मिलित जनसंख्या 1,29,429 है। जिसमें 64,866 पुरूष एवं 64,563 महिलाएं शामिल है। कुल जनसंख्या में से 39,851 सदस्य शिक्षित है। जिसमें 23,881 पुरूष एवं 15,970 महिलाएं शामिल है।

———0———

अध्याय –दो
आर्थिक जीवन

कोरवा जनजाति प्रारंभ से ही दूरस्थ एवं घने जंगलों में बसते थे। पूर्व में इनका आर्थिक जीवन पूरी तरह से वनो पर ही आश्रित था। वनों से ही इन्हें भोजन, जलाने व घर बनाने के लिए लकड़ी, जड़ी–बूटी, पीने के लिए पानी सभी जीवन उपयोगी वस्तुएं आदि चीजे प्राप्त हो जाती है। आज भी पहाड़ी कोरवा पूर्ण रूप से वनो पर ही निर्भर रहना पसंद करते है। इन्हें आजाद व एकांत में ही रहना पसंद है। ज्यादातर पहाड़ी कोरवा परिवार एक स्थान में नहीं रहते है। वे अपना स्थान व घर अलग–अलग करणों से बदलते रहते है। जिनमें मुख्य कारण है। विवाह के पश्चात घर से अलग हो जाना, बटवारा हो जाना, प्राकृतिक आपदाओं से घर टूट जाना आदि।

इसके विपरीत डिहारी कोरवा के सदस्य दुर्गम वनो से निकलकर अब ग्रामों में अन्य जाति व जनजातियों से मिलकर रहने लगे। व्यवस्थित तरीके से कृषि करने लगे, अर्ध पक्के घरों में रहकर जीवन व्यापन के अन्य संसाधनों का उपयोग करने लगे। इसके बावजूद भी इनके परिवार वनोपज संग्रहण (लकड़ी–कंदमूल) आदि के लिए वनो पर निर्भर है। वनो से इन्हें वर्षभर अलग–अलग प्रकार के फल, कदमूल, बीज, तेंदुपत्ता आदि मिलते रहते है। जिसे ये घरेलू उपयोग व विक्रय कर अपना जीवन यापन करते है। कोरवा (डीह) जनजाति के लोगो का आर्थिक जीवन मुख्य रूप से कृषि, कृषि मजदूरी, अन्य मजदूरी, वनोपज संग्रहण, पशुपालन, नौकरी, शिकार आदि पर निर्भर है।

कृषि कार्य :–

कोरवा जनजाति पूर्व में जंगल में आग लगाकर स्थान साफ करके बरसात का इंतजार करते थे। बरसात आने पर साफ जगह पर बीज छिटकर छोड़ देते थे। इस तरह की कृषि पद्धति को बेवरा कृषि कहते है। इससे उत्पादन की मात्रा बहुत कम होती थी। लेकिन जैसे–जैसे ये लोग अन्य जातियों के संपर्क मे ंआये आधुनिक कृषि की ओर अग्रसर हो रहे है, तथा आधुनिक उपकरणों का भी उपयोग करने लगे है।

धान :–

कोरवा (डिहारी) जनजाति के जुलाई माह से खेती करने लगते है। कृषि में हल व बैल को उपयोग करते है। जिनके पास बैल नहीं होते वे किराये से बैल लेते है। ज्यादातर के पास पथरीली व असिंचित कृषि भूमि होने के कारण ये कम उपजाऊ होते है। आधुनिक कृषि तकनीक से अनभिज्ञ ये प्राय : दो तरीको से धान की कृषि करते है। धान का रोपा लगाकर, इसके लिए कोरवा (डिहारी) जनजाति के लोग भी अन्य कृषकों की तरह बैल से हल चलाकर कृषि भूमि तैयार करते हैं धान का रोपा तैयार करने के लिए खेत के एक किनारे धान को बोया जाता है। वह जब एक फुट तक तैयार हो जाता है तो इसे थरहा कहा जाता है। इस समय खेते में पाटा चलाकर कीचड़ तैयार किया जाता है। फिर उसमें कुछ–कुछ दूरी के अंतराल पर थरहा को लगा दिया जाता है। फसल के पकने पर कार्तिक व अद्यन के माह में स्वयं फसल काटते है। फसल काटने के लिए हसियों का उपयोग करते है। अन्य पद्धति अनुसार वर्षा की पहली बौछार के खेतो में बीज छिटकर हल चलाते है। धान पौधे बड़े हो जाने पर पानी रोककर बियासी करते है। उसके बाद धान के खेतो की निदाई करते है। धान पकने पर ये स्वयं हंसिये से धान की कटाई करते है।

कोदो–कुटकी :–

वर्षा शुरू होने के पहले खेतो को साफ करके रखते है। पहली वर्षा के तुरंत बाद ही खेतो की पुनः हल से जुताई करते है। पौधों के बड़े होने तक बीच बीच में खेतो में उगे खरपतवार को साफ करते रहते है। फसल पक जाने पर पूरा परिवार मिलकर फसल की कटाई करते है।

मक्का :–

वर्षा शुरू होने के बाद बाड़ी को साफ करके जुताई करते है। फिर मक्का की बोआई करते है। मक्का उगने के बाद खरपतवार उखाड़ा जाता है। फसल पकने के बाद मक्के के फल को तोड़कर अलग रख लिया जाता है।

फल एवं सब्जी :–

कोरवा (डीह) जनजाति अपने घर के आसपास बाड़ी में मौसमी सब्जी जैसे लौकी, कद्दू, बैगन, टमाटर, मिर्च, फूल गोभी, भिण्डी, सेम, बरबट्टी, तरोई आदि लगाते है। कुछ घरों में कटहल, मुनगा, अमरूद, आम, सीताफल आदि के वृक्ष भी पाये जाते है।

मजदूरी :–

कोरवा जनजाति पूर्व में मजदूरी नहीं करते थे। ये अन्य लोगों का सामना नहीं करना चाहते थे। जंगलों पर पूर्ण रूप से निर्भर थे क्योकि वनों से इनकी जरूरत पूरी हो जाती थी। पहाड़ी कोरवा के लोग तो आज भी बहुत कम ही मजदूरी करते है। इसके विपरीत डिहारी कोरवा अन्य जातियों के संपर्क में आने से मजदूरी कार्य कर कुछ धन कमा लेते है। मजदूरी भी कई तरह होती है। जैसे कृषि मजदूरी एवं अन्य मजदूरी। अन्य मजदूरी में कृषि मजदूरी की अपेक्षा ज्यादा आय प्राप्त होती है।

शासन के द्वारा ग्रामों में रहने वाले लोगों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा कार्यक्रम चलाया जाता है। जो इसके अंतर्गत हर व्यक्ति को कम से कम एकवर्ष मे 100 दिन काम देने का प्रावधान है। रोजगार गारंटी योजना में कोरवा (डीह) जनजाति के लोग काम करते है। इसमें शासन द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान मजदूरो को किया जाता है।

कृषि मजदूरी :–

बड़े किसान व ऐसे किसान जिनके पास जमीन तो है। लेकिन खेती करने के लिए सदस्य नहीं है। वे अपने खेतो में काम करने के लिए मजदूर लगाते है। कुछ डिहारी कोरवा के सदस्य कृषि मजदूरी भी करते है।इसमें कृषि मजदूरी के बदले पैसा अथवा काम के बदले अनाज (वस्तु) मिलता है। जो कि अन्य मजदूरी से प्राप्त राशि में बहुत ही कम होता है।

वनोपज संग्रहण :–

कोरवा (डीह) जनजाति शुरू से ही वनो पर आश्रित थे। वनो का इनके जीवन में धार्मिक एवं आर्थिक महत्व है। वनों से इन्हें महुआ, चार, चिरौजी, तेंदुपत्ता, कंद–मूल, फल–फूल, शहद, जड़ी–बूटी, लकड़ी आदि मिलता है। कुछ वस्तुओं को स्वयं के उपयोग के लिए रखते है कुछ समान को बाजार में विक्रय कर देते है या समान के बदले समान ले लेते है। वनों में ही शिकार करते है।

पशुपालन :–

पूर्व में कोरवा (डीह) जनजाति के सदस्य पशुपालन नहीं करते थे। लेकिन जैसे–जैसे समय बीतता गया इनमें भी बदलाव आता गया। कोरवा (डीह) जनजाति बैल कृषि हेतु पालते है। गाय भी पालते है। लेकिन दूध का उपयोग बहुत कम करते है। इसके अतिरिक्त बकरी, मुर्गा–मुर्गी आदि भी पालते है। ज्यादातर पशु बिमारी या अन्य कारणों से खत्म हो जाते है। जो बचते है, उन्हें ये स्वयं खा जाते है। इनका व्यवसायिक उपयोग नही के बराबर होता है।

शिकार :–

डिहारी कोरवा जनजाति का मुख्य शिकार उपकरण धनुष–बाण है। पूर्व में वनों में जंगली सुअर, हिरण, खरगोश आदि का शिकार मांस के लिए करते थे। लेकिन अब शिकार पर प्रतिबंध लग जाने के कारण पशुओं का शिकार तो नहीं करते पर कभी–कभी पक्षी आदि का शिकार तीर–धनुष व गुलेल से कर लेते है, तथा वर्षा ऋतु में स्वयं के खाने के लिए मछली भी पकड़ते है।

नौकरी :–

कोरवा (डीह) जनजाति के कुछ युवक–युवतियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर शासकीय नौकरियों में लग रहे है। इनके जीवन शैली में बहुत बदलाव आया है। इन्हें देखकर अब बालक / बालिकाओं में शिक्षा व नौकरी के प्रति रूझान बढ़ा है।

वार्षिक कार्यो का विवरण :–

डिहारी कोरवा जनजातियों में पुरूष के साथ महिलायें भी सभी कार्यो में हाथ बटाती है। कोरवा महिलाएं घर का भी कार्य करती है साथ ही व मजदूरी भी करती है। इनके वर्ष भर किये जाने वाले कार्यो का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	माह	कृषि कार्य	अन्य कार्य
1.	चैत्र	पुरूष एवं महिला दोनों खेतो को साफ कर मेढ़ बनाने व मरम्मत का कार्य करते है।	पुरूष व महिला दोनों तेंदुपत्ता संग्रहण करते है।
2.	बैषाख	पुरूष एवं महिला दोनों खेतो को साफ कर मेढ़ बनाने व मरम्मत का कार्य करते है।	वर्षा आने से पहले जलाउ लकड़ी चार–चिरौजी आदि संग्रहण करते है।
3.	जेठ	पुरूष व महिला दोनों खेतो में गोबर आदि डालते है।	दोनों मकान मरम्मत करते है। व महुआ संग्रहण करते है।
4.	आसाढ़	पुरूष फसल हेतु हल चलाता है। महिलाएं बीज डालकर ढ़कने का कार्य करती है।	घर की बाड़ी में सब्जी लगाते है।
5.	श्रावन	दोनों मिलकर खेतो की निदांई करते है। व पुरूष बियासी करते है।	दोनों तेंदुपत्ता, कंद–मूल आदि संग्रहण करते है।
6.	भादो	पुरूष व महिला मिलकर खेतो की निदाई करते है। मक्का एवं उड़द आदि फल को तोड़ते हैं	कंदमूल आदि संग्रहण करते है।
7.	क्वार	पुरूष व महिला मिलकर कोदो, कुटकी, उड़द आदि फसलों की कटाई करते है।	महिलाये घर की साफ सफाई कर दीवारों की छवाई करती है। दोनों वनोपज संग्रहण व कृषि मजदूरी करते है।
8.	कार्तिक	धान, कोदो की कटाई दोनों मिलकर करते हैं।	शिकार, वनोपज संग्रहण करते है।
9.	अगहन	धान, कोदो की कटाई दोनों मिलकर करते हैं।	वनोपज संग्रहण करते है।
10.	पूस	धान, कोदो की कटाई दोनों मिलकर करते हैं।	पुरूष व महिला दोनों कृषि मजदूरी करते है।
11.	माघ	धान, कोदो की कटाई दोनों मिलकर करते हैं।	मजदूरी करते है। वनोपज संग्रहण करते है।
12.	फागुन	धान, कोदो की कटाई दोनों मिलकर करते हैं।	वनोपज संग्रहण व मजदूरी करते हैं

श्रम विभाजन :—

कोरवा(डीह) जनजाति में पुरूष व महिला दोनों में अपना कार्य विभाजित है। लगभग सभी महिलायें घरेलू कार्य करती है, और साथ ही पुरूषों के कार्यो में सहयोग करती हैं जबकि पुरूष घर के बाहर का कार्य करते है। इनके बीच के कार्यो का श्रम विभाजन निम्न लिखित है।

क्र.	कार्य	पुरूष	महिला
1.	**घर का कार्य**		
	1. खाना बनाना, बर्तन मांजना।	नहीं	हां
	2. पानी भरना	——,,——	हां
	3. घर की साफ सफाई लिपाई—पोताई	——,,——	हां
	4. बच्चों की देखभाल	——,,——	हां
2.	**कृषि कार्य**		
	1. हल चलाना	हां	नहीं
	2. बीज व खाद छिड़कना।	हां	हां
	3. निदाई, कटाई आदि।	हां	हां
	4. घास काटना।	हां	हां
3.	**पशुपालन**		
	1. गाय, बैल की देखभाल	हां	हां
	2. दूध दुहना	नहीं	हां
4.	**घर निमार्ण**		
	1. दीवाल बनाना, मिट्टी लाना, छबाई करना।	हां	हां
	2. छप्पर बनाना, वयरैल लाना।	हां	नहीं
5.	**अन्य कार्य**		
	1. मजदूरी	हां	हां
	2. लकड़ी काटना	हां	हां
	3. शिकार करना	हां	नहीं
	4. मछली पकड़ना	हां	हां
	5. वनोपज संग्रहण	हां	हां

दैनिक दिनचर्या :—

पुरूष :—पुरूष प्रायः सुबह उठ कर बैलो को खाना—पानी देते है। फिर दैनिक कार्यो को करने के बाद लकड़ी लाने जाते है। कुछ लोग बैलो को लेकर खेतो की और चले जाते है। लगभग 10—11 बजे तक ये खाना खाते है। खाने में बासी, रोटी या चावल सब्जी जो लोग मजदूरी के

लिये जाते है वे सायं को घर लौट जाते है। रात को जल्दी खाना खाकर परिवार व मित्रों के साथ समय बिताकर सोने चले जाते है।

महिला :—महिलायें लगभग सुबह ऊठ जाते है। घर के रात के जूठे बर्तन आदि साफ कर साफ पानी भरने जाती है। तत्पश्चात घर व आंगन को साफ कर खाना आदि बनाती है। बच्चों को उठाना फिर उन्हें तैयार करना एवं नाश्ता व खाना खिलाना भी घर की महिलायें ही करती है। कुछ महिलायें खेतो मे ंजाकर काम करती है। कुछ महिलायें मजदूरी करने चली जाती है। सायं घर लौटने के बाद महिलायें फिर पानी भरने, बर्तन साफ करने, घर की सफाई आदि कार्य करती है। फिर भोजन पकाती है। इन सबके बीच धान कूटने, गेहूं पीसने, वनोपज, लकड़ी आदि संग्रहण करने का कार्य भी करती है।

वार्षिक आय—व्यय :—कोरवा (डीह) जनजाति में आय का मुख्य साधन मजदूरी, वनोपज संग्रहण और कृषि है। आय का अधिकांश हिस्सा वे इन्ही तीनों स्त्रोंतो से प्राप्त होता है। इसके विपरीत कोरवा (डीह) जनजाति के लोग सबसे ज्यादा खर्च भोजन में ही करते है। इसके बाद शराब, कपड़ा, बीड़ी—तम्बाखू, धार्मिक पूजा—पाठ, उत्सव, त्यौहार इलाज आदि में खर्च होता है। ये लोग बचत करने या धन जमा करने की ओर ज्यादा ध्यान नही देते है।

बाजार व्यवस्था :—कोरवा (डीह) जनजाति आवश्यक घरेलू समान जैसे कपड़ा, हल्दी, मिर्च, नमक, गुड़, तम्बाकू बीड़ी, अन्य सामग्री खरीदने के लिए आस—पास लगने वाले साप्ताहिक बाजार में जाते है। ये जो वनोपज संग्रहण करते है जैसे महुआ, चिरौजी बीज, धान, दाल आदि चीजों को साप्ताहिक बाजार में बेच कर अपनी आवश्यक वस्तुएं खरीद लेते है। पूर्व में ये बाजारों से अपने वनोपज संग्रहण की अदला—बदली कर आवश्यक वस्तु लेते थे। परंतु वर्तमान में यह प्रथा खत्म होने की कगार पर है, अब समानों का सौदा रूपये—पैसे में होने लगा है।

———**0**———

अध्याय – तीन
जीवन चक्र

जन्म संस्कार :–

परिवार में जैसे ही पता चलता है कि विवाहित गर्भवती है। तो गर्भवती के लिये अलग से कमरा की व्यवस्था कर दिया जाता है, अथवा किसी कमरे में उनके आने जाने के लिए दीवार में अलग से छेद कर दरवाजा बना दिया जाता है। जिससे वह घर के अन्य सदस्यों से बिना टकराये आना–जाना करती रहे। ऐसा छठ्ठी कार्यक्रम होने तक चलता है। गर्भवती महिला की देखभाल उसकी सास और दाई के द्वारा किया जाता है। दाई को **कुसरईन** भी कहते है। पूर्व में गर्भवती की जचकी **कुसरईन** के हाथो करायी जाती थी। कुसरईन न मिलने के स्थिति में समाज की बुजुर्ग महिला के द्वारा जचकी कार्य किया जाता था। बच्चें की नाल को तीर से काटा जाता था। प्रसव के 3 दिन बाद कोरवा जनजाति की महिलाओं के द्वारा काढ़ा (कासा) बनाया जाता है। काढ़ेको 21 प्रकार के जंगली जड़ी बूटी से तैयार किया जाता है। जड़ी बूटी को रात भर उबाला जाता है। फिर दूसरे दिन इस काढे को सरसो तेल में फ्राई करके काढ़ा को अन्य महिलाओं में बाटा जाता है। इसे कासा पियाई कहते है। इसके बाद प्रसूता को खाने में खिचड़ी पकाकर दिया जाता है।

छठी संस्कार :–

बच्चें के जन्म के बाद उसकी नाल झड जाने के बाद छठी संस्कार मनाया जाता है। छठी के लिये सभी सगे संबंधियों को बुलाया जाता है। इसी दिन नवजात का नाई के द्वारा मुडंन किया जाता है। इसके बाद परिवार के सदस्यों का बाल काटा जाता है। इसके बाद समाज के सभी उपस्थित संबंधियों के घर से एक–एक कपड़े एकत्रित कर धोबी को धोने के लिए दिया जाता है। सभी महिला एवं पुरूष नहाकर तैयार होकर एकत्रित हो जाते है। नवजात व प्रसुता महिला को नया कपड़ा दिया जाता है। सभी महिलाये चौक के पास इकट्ठा होकर चौक पूरते है। जिसमें धूप (सरई लासा) एवं गुड़ से हवन किया जाता है। हवन इष्ट देवी देवता एवं पूवर्जो के नाम से किया जाता है। इसके बाद सभी महिलायें धान/चांवल पकड़कर छठी बदते है। एकत्रित धान/चांवल को कुसरईन अपने घर ले जाती है। छठी बदने के बाद समाज की महिलायें नवजात को पैर में ऊठा कर नवजात के पैर को **कोदो** की **हड़िया** से धोया जाता है। इसके बाद सभी को हड़िया या महुआ शराब परोसा जाता है।

बरहो :–

जचकी के 12 दिन बाद बरही मनाते है। इस दिन परिवार को सभी लोग ईष्ट देवी'–देवता (महादेव–पार्वती) का नारियल फोड़कर व सरई लासा (धुप) से हवन कर पूजा करते है। एवं हड़िया का चढ़ावा चढ़ाते है। फिर परिवार व समाज के द्वारा ये मानकर कि जच्चा व बच्चा स्वस्थ्य है। सभी हड़िया व महुआ का सेवन कर खुशियां मनाते है, एवं बाद में सभी भोजन करते है।

प्रसूता को तीन माह के बाद रसोई घर में जाने दिया जाता है। इसके बाद ही प्रसूता के द्वारा बनाये हुए खाने को परिवार के अन्य सदस्य ग्रहण करते है। **जिसे हांड़ी धुववनी** कहते है।

अन्न प्रासन :–

5 माह के बाद नवजात का अन्न प्रासन किया जाता है। इस दिन समाज एवं पड़ोसियों को बुलावा भेजा जाता है। परिवार के बुजुर्ग के द्वारा सबसे पहले नवजात का मुह जूठा किया जाता है। उसके बाद अन्य सगे संबंधियों के द्वारा नवजात को खिलाया जाता है। अन्न प्रासन होने के बाद सभी मेहमानों में हड़िया परोसा जाता है।

विवाह संस्कार :–

कोरवा समाज में विवाह कार्यक्रम वर्ष के माघ महिने से फागुन माह के बीच होता है। सर्व प्रथम लड़के पक्ष वाले लड़की पक्ष वालो के घर जाते है। कोरवा में संगोत्र विवाह नहीं पाया जाता है। वधूमूल्य के रूप में पूर्व में 5 रूपये दिये जाते थे। जो अब बढ़कर 21 रूपये हो गया है। साथ ही चावल दिया जाता है। विवाह हेतु मामा के लड़के/लड़की को प्राथमिकता दिया जाता है। परिवार में जब कोई लड़का/लड़की विवाह योग्य हो जाते है। तब परिवार के बुजुर्ग सदस्य रिश्तेदारों व समाज के अन्य लोगों को अगुवा बनाकर लड़की खोजने के लिए कहते है।

जब ये प्रतिनिधि किसी कन्या पक्ष के घर जाते है। तो कन्या पक्ष वालों को बहाने से पूछते है। कि ''कहा कर सगा हा कहां जात हा तब लड़के पक्ष के लोग जवाब में कहते है कि हमन यही डगर जाये लगेन तो तुहर घरे हरियर साग देखेने तो तूहर घर छाव में छुईयायन ही फिर लड़की पक्ष के लोग कहते है। ''ने गा सागा महाराज मूर्गी छडवा नियर हमर परिवार है। सहालबे तो ठीक है,'' तब वर पक्ष के लोग कहते है। कि ''ने गा सगा महाराज ओही कस भीर हमन खोजत ही।'' जब दोनो पक्ष राजी हो जाते है। तो वो अपस में जोहार भेंट करते है। तब दोनों पक्ष के द्वारा बराबर दारू मगाया जाता है और साथ बैठकर पीया जाता है। तब विवाह तय माना जाता है। लड़की पक्ष के लोग लाठी हेक देते है।

10–15 दिन के बाद वर पक्ष के घर से एक व्यक्ति दो हाड़ी उसना चांवल (मन्द चावल) कन्या पक्ष के घर पहुंचाते है। इससे कन्या के घर वाले हड़िया शराब बनाते है।

शराब तैयार हो जाने पर वर पक्ष के लोगों को निमत्रण दिया जाता है। इसके बाद वर पक्ष के लोग समाज के 5 प्रमुख लोगों व दो खाला चावंल वाली रोटी लेकर कन्या पक्ष के घर पहुंच जाते है। जहां पहले से ही दूसरे पक्ष के परिवार व समाज के लोग उपस्थित होते है। दोनों पक्ष विचार विमर्श कर विवाह की तिथि तय करते है। तिथि तय होने बाद हड़िया शराब परोसा जाता है। इसके बाद तय अनुसार वर पक्ष के लोग चावल, 5 तांबी दाल, 1 तांबी दो ढुढूवा तेल, 3 पइला आलू, 1 खाला गुड़, 3 खाला चिवड़ा पहुंचाते है एवं दोनो पक्ष के द्वारा बगई रस्सी में गांठ बांधा जाता है। फिर खाना–पीना करने के बाद वर पक्ष वाले घर चले जाते है। दूसरे दिन से ही अपने–अपने बगई रस्सी का प्रतिदिन गांठ खोलते है। जिस दिन पूरी गांठ खुल जाती है। उसी दिन मड़वा गाड़ा जाता है। मड़वा सरई पेड़ का होता है बैगा एक आम के पेड़ में पांच **मड़वा डेरता** है। परछने के लिए समाज का सिपाही ग्राम में हाका पाड़ता है और

कहता है कि चला मड़वा परछे पर मड़वा परछने के लिए पांच सुवासिन (कुंवारी लड़किया) की आवश्यकता होती है। उसके बाद बैगा सरई लासा से एवं दीपक जलाकर हवन करते है। यह पूजा धरती माता एवं ग्राम की डिह–डिहारिन देवी के लिये किया जाता है। पूजा के बाद माटी कोड़ई की प्रक्रिया पूरी की जाती है। माटी कोड़ई के बाद पांच सुवासिन अपने हाथों से हल्दी चिक्सा के द्वारा मड़वा को परछते है। इसके बाद बईगा के चेहरे में हल्दी चिक्सा का लेप चढ़ाते है। कोड़ई की हुई मिट्टी को बईगा के सिर के उपर में फेकते है। जिसे वर का फूफा दूसरी ओर से झोकता है। जिसे मड़वा के नीचे बीच खम्बे में रखते है। फिर समाज के सभी लोगों के द्वारा तिल का तेल दो जुआ को बांध कर पेरते है। इस तेल से वर/वधु का तेल पिअई (तेलभिषेक) किया जाता है। यह प्रक्रिया वर/वधु के माता/पिता के द्वारा सर्व प्रथम किया जाता है। इसके बाद हड़िया शराब का सेवन किया जाता है।

दूसरे दिन ग्राम की महिलाये सहायता के रूप में वर/वधु के माता–पिता को एक थाली में चांवल भेंट स्वरूप देते है। सुवासिन लड़किया व महिलायें मिलकर वर/वधु को को मडवा के नीचे नचवाते है। दोपहर के बाद सुवासिन लड़कियों के द्वारा हल्दी उतारा जाता है। इसके बाद वर की बहन के द्वारा हल्दी चिक्सा लेकर दोना में डोल डालकर दीप जलाया जाता है। और ढोढी या कुआं में दीप दिखाकर नये घड़े में पानी भरा जाता है। इसी पानी से वर को नहलाया जाता है। नहलाते समय इस पानी से वर को चुकिया में झोका जाता है। इसे **रायसपानी** कहते है। नहलाने के बाद वर को एक पर्रा में चादर से ढक कर सुवासिनों के द्वारा पांच भवर नचवाया जाता है। भाई–बहन मिलकर लुकूझा करते है। मड़वा के बीच बहनों के द्वारा नये तवा में धान की लाई फोड़ा जाता है। वर के नहाने के बाद वर को भाटो धोती और ककन मौर पहनाकर तैयार करते है। इसके बाद एक झापी में साड़ी, तेल, कंगन, चूड़ी डोनिया, सिंदुर, वधु की माँ के लिए 1 नग आजी लेदरी 1 नग साला धोती 1 नग समंधी धोती 1 नग भाभी साड़ी को रखकर बारात के साथ ले जाते है। बारात निकलते समय चौक पूरते है। उसके बाद वर की मां हाथ में लोटा और दोना में गुड़ एवं चिवड़ा लेकर चौक में पत्तल बिछाकर बैठ जाती है और वर को अपनी गोद में बैठा लेती है। फिर इन पर चादर तानकर गुड़ चिवड़ा खिलाया जाता है। इस रस्म के बाद वर के जीजा के द्वारा वर को कंधे में बिठाकर बारात निकालते है।

बारात वधु के ग्राम में जैसे ही पहुंचती है। वहां के कोटवार के द्वारा बारात को जनवासा तक पहुचाया जाता है। एवं वधु के परिवार वालों को सूचना दी जाती है। कि बराती परधाना है, जल्दी करो। वधु पक्ष के द्वारा दीपक जलाकर बरातियों का परेच्छा (स्वागत किया) जाता है। स्वागत के बाद वधु पक्ष के लोग वापस आ जाते है। पीछे–पीछे वर को मण्डप छुवाने के लिये लाते है। मण्डप छुवरी का शुल्क दो रूपये वधु पक्ष के द्वारा लिया जाता है।इसके बाद वर को वापस ले जाते है। रात में पांच बाराती को भोजन कराया जाता है। इसे **धुरवावा** भात कहते है। उसी रात को ही वधु को नहाने के लिए वर द्वारा नहाये हुये चुकिया में जमा किया हुआ पानी (रायसपानी) को दिया जाता है। बारात के साथ झापी में लाया हुआ वधु का सारा समान भी दिया जाता है। सुबह वधु पक्ष के द्वारा हल्दी उतारकर नहलाया जाता है। वधु को तैयार करने के बाद वर एवं वधु को मण्डप के नीचे भांवर लगवाया जाता है। यह रस्म समाज के मुखिया एवं बुजुर्गो के द्वारा पूरा कराया जाता है। फिर धरम टीकावन किया जाता है। सभी रिश्तेदार एवं सामाजिक बन्धुओं के द्वारा वर–वधु को नवदम्पत्य जीवन के लिए आर्शीवाद प्रदान किया जाता है।

मृत्यु संस्कार :–

कोरवा जनजाति में किसी की मृत्यु हो जाने पर आस–पास के लोग एकत्र हो जाते है। मृत्यु की सूचना गावं वालो एवं रिश्तेदार को भेजी जाती है। सूचना पाते ही सभी एकत्रित होने लगते है। मृतक को पानी से नहलाते व हल्दी लगाते है, तथा बांस की सीढ़ी नुमा कठली बनाकर उस पर मृत शरीर रखकर नया सफेद कपड़ा ओढ़ाते है। मृत शरीर रास्ते में गिर न जाये इस लिए रस्सी से मृत शरीर को काठी से बांधते है। फिर मृतक के पुत्र, भाई, भतीजा आदि द्वारा चार व्यक्ति कठली को कंधे में उठाकर ले जाते है। उस बीच शमसान में पहले से ही कुछ लोग एकत्रित होकर गढ्ढा खोदकर या लकड़ी एकत्रित करके रखते है। कोरवा जनजाति में ज्यादातर मृतकों को दफनाया जाता है। लेकिन जिनकी मृत्यु अकाल और गंभीर बिमारी से होती है, उन्हें जलाया जाता है। महिलायें दरवाजे तक या गांव के बाहर तक रोते हुए आती है। मृतक के साथ उनकी प्रिय वस्तु निजि उपयोग की कपड़े आदि को भी साथ ले जाते है। मृतक को जलाने या दफनाते समय **प्रथम अग्नि देने या मिट्टी डालने का कार्य मृतक के बड़े पुत्र का होता है**। फिर सभी उपस्थित लोग मृतक के घर आकार अपने

अपने घर चले जाते हैं उस दिन घर में भोजन नहीं बनता। रात्रि में दीपक जलाया जाता है।

तीसरे दिन सब लोग पुनः एकत्रित होकर स्नान करने जाते है। और मृतक के नाम पर जल तर्पण करते है पुत्र, पौत्र एवं परिवार के अन्य सदस्य अपनी दाढ़ी, मूछ व सर के बाल आदि साफ करवाते है। तत्पश्चात दसवे दिन कुल देवी देवता मृत आत्मा, व पूवर्जो के नाम पर पूजा की जाती है। पूर्व में इस दिन मुर्गी की बलि भी दी जाती थी। इस दिन रिश्तेदारों व ग्राम वालों को खाना भी खिलाया जाता है।

———0———

अध्याय – चार
सामाजिक जीवन

सभी जाति वर्ग के लोगों का अपना–अपना सामाजिक जीवन होता है। समाज के द्वारा जाति वर्ग के लोगों की सामाजिक भूमिका निर्धारित की जाती है, कि उसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति कैसे समाज में अपना योगदान देगा। समाज व्यक्ति को रिश्ते नाते निभाने व लोगों का सहयोग करना सिखाता है। प्रत्येक व्यक्ति

सामाजिक बंधनों में बंध के ही रिश्तों की सीमाओं में रहता है। सभी जातियों का विभाजन मुख्य रूप से उनके कार्यो के आधार पर हुआ है। डीहारी कोरवा की सामाजिक संरचना को जानने के लिए इनकी जाति, उपजाति, गोत्र, नातेदारी, परिवार एवं अंर्तजातीय संबंधों का अध्ययन किया गया।

जाति :–

कोरवा जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न प्रचलित लोक कथाओं में एक के अनुसार कोरवा कौरव वंश के वंशज है। एक अन्य लोक कथा के अनुसार इनकी उत्पत्ति काग भगोड़ा में राम–सीता माता के द्वारा प्राण डालने से हुयी है।

उपजाति :–

कोरवा जनजाति मुख्यतः दो उपजातियों में कोरवा व कोडाकू के रूप में विभक्त है। कोरवा पुनः अपने निवास व विकास के आधार पर दो भागों पहाड़ में निवास करने वाले पहाड़ी कोरवा तथा मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले (डीह अर्थात गांव) डिहारी कोरवा में विभक्त है।

गोत्र :–

सभी जनजाति समाज में गोत्र पाया जाता है। गोत्र का विशेष महत्व होता है। एक गोत्र के व्यक्ति एक ही पूर्वज के वंशज माने जाते है। कोरवा जनजाति में भी गोत्र पाये गये है। डिहारी कोरवाओं के अनुसार इनमें चार गोत्र एदगे, हंसदा, समाठ एवं मुड़ियार ही मुख्य गोत्र है। जिन्हें डीह कोरवा जनजाति के लोग ज्यादा महत्व देते है। इसके बाद अन्य गोत्र गीनू, बंडा,सिंगलवार, एवं अधवार आदि गोत्र भी पाये जाते है।

डिहारी कोरवा के व्यक्तियों से उनके गोत्र के नामकरण के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया की जब उनके पूर्वज एक दिन शिकार करने गये तो उन्होंने एक हिरण का शिकार किया। तब शिकार करने एवं भोजन बनाने में उनकी भूमिका के आधार पर गोत्र का नामकरण (उत्पत्ति) हुई।

1. एदगे (एदेगवार) :–

(अ) शिकार के दौरान जिसका तीर हिरण लगा तो उसने अपनी बोली में जोर से चिल्लाया **ऐदगे पइर गईस।**

(ब) शिकार के पश्चात जो व्यक्ति हिरण पका रहा था। तो उसका हाथ जल गया तो उसने जोर से बोला **एदगे हाथ जर गईस।** ऐसा उसने कहकर अपना दर्द बया किया। और दुखी हो गया। इसने अपने तीर–धनुष से हिरण का शिकार किया तो तीर धनुष को अपना टोटम मान लिया। इसी आधार पर इनके गोत्र ऐदगे (एदेगवार) पड़ गया।

2. हसदाः–

(अ) हिरण के शिकार के बाद जब हिरण मर गया तो जो जोर जोर से हसने लगा। उस दिन से उसे हसदा गोत्र का माने जाने लगा।

(ब) जब सब खाना खा रहे थे तो उनमें से सबसे पहले भोजन करने वाले भोजन की प्रंशसा करते हुए हंसने लगा। हंसने के कारण उसे हंसवा राजा का दर्जा मिला।

3.समाठ :–

(अ) शिकार के समय जिस व्यक्ति ने हिरण को पूरा समेट कर पकड़ लिया। उसका गोत्र समाठ हो गया।

(ब) जिसने भोजन करने के लिए सबको समेटा (इक्ट्ठा) उसका गोत्र समाठ कहलाते है।

4. मुड़ी (मुड़ियार) :–

(अ) शिकार करते समय जिस व्यक्ति ने हिरण के मुड़ी (सिर) को पकड़ लिया। वह मुड़ी (मुडियार) गोत्र का व्यक्ति कहलाया।

(ब) भोजन पकाने के लिए चूल्हा बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसने अपना मुड़ी (सिर) काटकर चुल्हा बना दिया। तब से इनका गोत्र मुड़ी (मुड़ियार) पड़ गया। इनका टोटम हिरण का सिर है।

1. गीनू :–

(अ) जिसने शिकार करने के बाद हिरण का बटवारा करने के लिये सबकी गिनती किया। उसका गोत्र गीनू पड़ गया।

(ब) जिसे भोजन बनाने के लिए पानी भरने का जिम्मा मिला पानी भरने से बचने के लिए कीचड़ से छिप गया। कीचड़ में रहने वाली गीना मछली को गीनू कहां गया। क्योकि ये मछली कीचड़ में रहती है। इनका गोत्र चिन्ह (टोटम) गीना मछली है।

6. बंडा :–

(अ) शिकार के दौरान जिसने हिरण की पूछ को पकड़ लिया। उसका गोत्र बडां हो गया।

(ब) खाना पकाते समय जिस व्यक्ति में हिरण में पूंछ से खाना को चम्मच की तरह चलाया, और खो दिया। वह व्यक्ति बंडा गोत्र का कहलाया। इनका गोत्र चिन्ह हिरण की पूंछ है।

7. सिंगलवारः–

(अ) शिकार के दौरान जिसने हिरण का सिंग पकड़ लिया उसे सिंगलवार गोत्र का माना गया। इनका गोत्र चिन्ह हिरण का सिंग है।

(ब) जिसे खाना बनाने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं सौपी गई थी इसने केवल सदस्य के रूप में काम किया। इसलिये इसे सिंगलवार गोत्र माना गया।

8. अधवारः–

(अ) शिकार के दौरान जो व्यक्ति हिरण तक नहीं पहुंच पाया आधे रास्ते से वापस आ गया। इसे अधवार गोत्र कहा गया।

(ब) जिस व्यक्ति को खाना बनाने के लिए कोई जिम्मेदारी दी गई। उसने वह कार्य पूरा नहीं किया तो वह अधवार गोत्र कहलाया।

नातेदारीः–

कोरवा जनजाति में नातेदारी संबंध को दो भागों रक्त संबंधी एवं विवाह संबंधी में विभक्त किया जा सकता है।

1. **रक्त संबंधी** :–नातेदारी व्यवस्था में सबसे नजदीकी संबंध रक्त संबंधियों में होता है। ये आपस में खून के रिश्ते से जुड़े होते है। रक्त संबंध में पिता–माता, पुत्र–पुत्री, दादा–दादी, भतीजा–भतीजी, चाचा–चाची, ताऊ–भाई व बहन आते है।
2. **विवाह सबंधी** :– विवाह संबंधी नातेदारी ऐसे संबंधों को कहते है। जो विवाह के बाद बनते है। इस व्यवस्था में रिश्ता रक्त संबंधों से कमजोर होता है। इसमें सास–ससुर, साला–साली, नान–नानी, मामा–मामी, संबंधी–समधन, मौसा–मौसी, जीजा, नाती–नातिन, दामाद–बहु, फूफा आदि आते है।

परिहार संबंधः–

कोरवा जनजाति में परिहार एवं परिहास संबंध पाया जाता है। घर में महिलायें अपने पति के पिता व पति के बड़े भाई से पर्दा करती है। छोटी बहु एवं जेढ आपस में एक दूसरे

से सीधे बात नहीं करते है। इसमें एक दूसरे को स्पर्श करना निषेध होता है। जबकि एक दूसरे का नाम भी नहीं ले सकते है। इसी प्रकार पुरूष का भी परिहार संबंध अपने पत्नी की बड़ी बहन से होता है। पत्नी की माता से भी कुछ दूरी बनाए रखना भी कोरवा जनजाति समाज में आवश्यक है।

परिहास संबंधः—

समाज में कुछ रिश्तो के बीच हंसी मजाक का संबंध होता। जैसे जीजा—साली, देवर—भाभी, दादा—पोता, दादी—पोता आदि। इनके बीच समानता व मित्रता का संबंध मानते हुए समाज भी कुछ हद तक इनके बीच की नजदिकियों को नजर अंदाज करता है। ऐसे संबंधों को परिहास संबंध कहा जाता है।

माध्यमिक संबोधनः—

दो संबंधों के बीच माध्यमिक संबोधन होता है। जब किसी एक के द्वारा दूसरे सदस्य का नाम नहीं लिया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में उन्हें माध्यमिक संबोधन के सहारे पुकारा जाता है। जैसे—पत्नि अपने पति का नाम न लेकर उन्हें बच्चे के पापा व देवर के नाम लेकर उनके आगे पापा या भईया आदि जोड़कर उच्चारण करते है। जैसे—पप्पू के पापा या गुड्डू के भईया।

परिवारः—

कोरवा (डीह) जनजाति में पितृ सत्तात्मक पितृ वंशीय/पितृ स्थानीय परिवार पाया जाता है। परिवार का मुखिया पिता या बुजुर्ग ही होता है। कोरवा (डीह) जनजाति में मुख्यतः एकल परिवार पाया जाता है। एकल परिवार में माता—पिता व अविवाहित बच्चे होते है। कोरवा (डीह) जनजाति के परिवार में जैसे ही बालक का विवाह होता है। उसे घर से

अलग कर उसके लिए पास ही अन्य घर बना दिया जाता है। किन्तु परिवारिक जमीन पर सम्मिलित रूप से खेती करते है। पिता के मृत्यु के पश्चात ही खेती का विभाजन बच्चों के बीच होता है।

अंतर्जातीय संबंधः—

कोरवा (डीह) जनजाति में भी अंतर्जातीय संबंध पाया जाता है। डिहारी कोरवा जनजाति के साथ ग्राम में अन्य जाति व जनजाति उरांव, नगेसिया, गोंड, यादव, कवंर तथा रजवार आदि समाज के लोग भी रहते है। इनमें परस्पर संबंध मजबूत पाया जाता है। सभी लोग एक दूसरे की सुख—दुख में मदद करते है। आपस में उम्र अनुसार संबोधन व व्यवहार आदर आदि करते है। गैर जनजातियों जैसे लोहार से लोहे के औजार बनाना, नाई से बाल कटवाना आदि। इनमें भी सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। कुछ जातियों के ये अपने से उच्च, समकक्ष तो कुछ को अपने से निम्न जातियां मानते है।

उच्च जाति	—	ब्राम्हण, क्षेत्रीय, बनिया।
समकक्ष जाति	—	कवंर, गोंड़, उरांव, चेरवा।
निम्न जाति	—	मोची, नाई।

———0———

अध्याय – पांच
शैक्षणिक स्थिति

किसी भी समाज के विकास में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा से ही व्यक्तियों का स्र्वागिण विकास होता है। जिससे उनके विचारों में परिवर्तन आता है, और जीवन में भी सुधार होता है। समाज के शिक्षा स्तर की जानकारी के लिए 7 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी भाषा में पढ़ने एवं लिखने में समर्थ नागरिक को साक्षर माना जाता है। जनगणना 2011में देश की साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत है। जबकि राज्य की साक्षरता दर 70. 28 प्रतिशत है। 2001 की जनगणना में यह 64.66 प्रतिशत दर्ज की गयी है। साक्षरता में राज्य का देश में 27वां स्थान है। छत्तीसगढ़ राज्य में 80.27 प्रतिशत पुरूष तथा 60.24 प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। छत्तीसगढ़ राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 2,55,45,198 है। जिसमें अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 78,22,902 है। जो राज्य की जनसंख्या का 30.62 प्रतिशत हे। देश की कुल जनजाति जनसंख्या 10,42,81,034 में 7.3 प्रतिशत हिस्सा छत्तीसगढ़ का है। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर 59.1 प्रतिशत है। पुरूषों व स्त्रियों की साक्षरता क्रमश 69.7 प्रतिशत व 48.8 प्रतिशत है। कोरवा व कोडाकू की सम्मिलित साक्षरता प्रतिशत 38.7 प्रतिशत है। पुरूषों व स्त्रियों की साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 46.2 प्रतिशत व 31.1 प्रतिशत है।

छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजाति एवं कोरवा–कोडाकू की जनसंख्या का विवरण

जनसंख्या				
क्र.	विवरण	कुल जनसंख्या	पुरूष	महिला
1	अनुसूचित जनजाति	7822902	3873191	3949711
2.	कोरवा (कोडाकू)	129429	64866	64563

राज्य के कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में 1.65 प्रतिशत कोरवा–कोडाकू की सम्मिलित जनसंख्या है।

साक्षरता दर में दसकीय वृद्धि एवं कमी

जनगणना 2001					जनगणना 2011			साक्षरता दर में वृद्धि/कमी		
क्र.	विवरण	कुल साक्ष. दर	पुरूष साक्ष. दर	महिला साक्ष. दर	कुल साक्ष. दर	पुरूष साक्ष. दर	महिला साक्ष. दर	कुल साक्ष. दर	पुरूष साक्ष. दर	महिला साक्ष. दर
1	कोरवा–कोडाकू	32.92	42.54	23.10	38.7	46.2	31.1	5.78	3.66	8

उपरोक्त सारणी में कोरवा–कोडाकू की सम्मिलित रूप से जनगणना 2001 एवं 2011 के बीच की साक्षरता दर के अंतर को दर्शाने का प्रयास किया गया है। जिसके अनुसार कुल साक्षरता दर में 5.78 प्रतिशत दर की वृद्धि देखी जा सकती है। इसी क्रम में पुरूष एवं महिला की साक्षरता दर में क्रमशः 3.66 प्रतिशत एवं 8.00 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। इस आधार पर कहा जा सकता है, पिछले दस वर्षो में कोरवा–कोडाकू में सम्मिलित रूप से साक्षरता दर में वृद्धि हुयी है।

साक्षरता दर				
क्र.	विवरण	कुल साक्षरता प्रतिशत	पुरूष साक्षरता प्रतिशत	महिला साक्षरता प्रतिशत
1	अनुसूचित जनजाति	59.1	69.7	48.8
2.	कोरवा (कोडाकू)	38.7	46.2	31.1

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कोरवा–कोडाकू के कुल साक्षरता दर सम्मिलित रूप से 38.7 प्रतिशत है। जिसमें पुरूष एवं महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 46.2 एवं 31.1 प्रतिशत है। जो राज्य के अनुसूचति जनजातियों के कुल साक्षरता दर 59.1 प्रतिशत से बहुत ही कम है।

———0———

अध्याय –छः
भौतिक संस्कृति

ग्राम का आकार व बसाहट :–

कोरवा (डीह) जनजाति के लोग सामान्यतः ग्राम में एक समूह में रहते है। इनके घर ग्राम के एक तरफ में होते है। जिसे ग्राम में सामान्यतः कोरवा पारा के नाम से जाना जाता है।

घर निर्माण विधि :–

घर बनाने से पहले जगह का चयन किया जाता है। जगह चयन के बाद स्थान के चारों दिशा में एक–एक टांगी (कुल्हाडी) को गाड़ दिया जाता है, तथा टांगी के ऊपर थोड़ा–थोड़ा चांवल रख दिया जाता है। उसके बाद दूसरे दिन सुबह जांच करने पर है। अगर टांगी है या चांवल गिर जाता है तो उस जगह को अशुभ मानकर अन्य सीमा की ओर चले जाते है, तथा फिर से वहीं प्रक्रिया दोहराई जाती है। शुभ स्थान का चयन हो जाने पर नारियल चढ़ाकर तथा धूप जलाकर महादेव पार्वती के साथ पूर्वजों के नाम से पूजा पाठ करते हैं फिर नारियल फोड़कर वहां उपस्थित सदस्येां को प्रसाद बांटा जाता है। उसके बाद ही दीवाल के लिये नींव खोदा जाता है। नींव में लकड़ी या बांस को एक के बाद एक जमाकर मिट्टी से छापकर दिवाल बनाया जाता है। इसे **चचरा घर** (लकड़ी का घर) कहा जाता है।

सामान्यतः इनका घर एक या दो कमरों का होता है। कोरवा (डीह) जनजाति के लोग रसोई घर अलग से नहीं बनाते है। घर के ही एक किनारे में चूल्हा बनाकर गाड़ देते है। वही पर ही खाना बनाने का बर्तन एवं राशन रखा जाता है। एक कोने में अनाज रखने की कोठी होती है। घर में पूजा घर अलग से नही होता है। घर के भीतर ही पूजा करते है। पूजा पाठ घर के पुरूषों के द्वारा किया जाता है। महिलाओं को पूजा पाठ में जाना मना होता है।

घर की सजावट :–

घर की दीवार पर मिट्टी से छपाई कर समतल बनाया जाता है। घर की छपाई करने के बाद कुछ लोग अपने घर की दीवारों पर काली मिट्टी से पशु, पेड़– पौंधे, जानवरों आदि का चित्र बनाते है। **घरों में गाय के गोबर से लिपाई करते है।**

घरेलू एवं कृषि उपकरण :–

कोरवा (डीह) जनजाति में घरेलू उपकरण के रूप में केवल दैनिक जीवन उपयोगी वस्तुएं ही मिलती है। पानी पीने के लिए मिट्टी का घड़ा, खाना बनाने के लिए मिट्टी व एल्युमिनियम के बर्तन प्रयोग में लाए जाते है। कोरवा जनजाति के लोग ग्राम में अन्य जाति/जनजाति के संपर्क में रहते है। जिससे इनके जीवन शैली में भी उनका असर दिखाई देता है। अब ये स्टील व कांसे के बर्तन भी उपयोग करने लगे है। खाना बनाने

उपकरण के रूप में सोने के लिए एक–दो खटिया, ओढ़ने बिछाने के लिए कपड़ा, कही–कहीं धान कुटने का मूसल, अनाज रखने की कोठी, बांस का सूपा, टुकना, झडवा, झाडू आदि होता है। फर्नीचर के रूप में कुछ घरों में प्लास्टिक की कुर्सी व लकड़ी का स्टूल आदि भी पाये जाते है। शिकार के लिए तीर–धनुष, गुलेल व मछली पकड़ने का जाल, चोरिया औजार भी पाये जाते है।

कोरवा (डीह) जनजाति के घरों में कृषि उपकरणों में हल, जुड़ा, बैलगाड़ी, कुल्हाड़ी, कुदाली, फावड़ा, गैती, हंसिया आदि मुख्य रूप से पाये जाते है।

वस्त्र विन्यास :–

कोरवा जनजाति के पुरूष पूर्व में कमर के नीचे केवल लंगोट धारण करते थे, शेष शरीर खुला रहता था। महिलायें केवल लुगरा लपेटती थी। वर्तमान में अन्य समाज के लोगों का असर इनपर देखने को मिलता है। अब पुरूष

धोती—कुर्ता, गमछा, कच्छा आदि का भी उपयोग करते है।

महिलाएं साड़ी—ब्लाउज, पेटीकोट एवं कन्याएं फ्राक, सलवार सूट आदि पहनती है।

गोदना :—

कोरवा (डीह) जनजाति की महिलायें गोदना गुदवाती है। गोदना सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। महिलाओं का मानना है, कि गोदना एक स्थायी आभूषण है तथा मृत्यु के पश्चात सभी वस्तुएं यही रह जाती हैं परंतु गोदना साथ जाता है। महिलाएं हाथ, पैर, बांह, गले में गोदना गोदवाती है।

आभूषण एवं साज श्रृगांर :—

कोरवा (डीह) जनजाति की महिलाएं आभूषण पहनना व साज श्रृगांर पसंद करती है। बाल में तेल लगाकर कंघा से कघी कर जूड़ा बनाती है, फीता भी गाथती है। बालों में गिलट से बनी गिलट या प्लास्टिक से बनी क्लिप भी लगाती है।

क्र.	आभूषण का नाम	धातु	उपयोग कर्ता	पहनने का स्थान
1.	हंसली, सुता, ककना,	गिलट/चांदी	महिला	गले में
2.	बहुटा	गिलट/चांदी	महिला	बाह में
3.	कर्ण फूल, तरकुला	गिलट/चांदी	महिला	कान में
4.	चूंड़ी व कंगन	गिलट/चांदी	महिला	हाथ में कलाई में
5.	करधनी	गिलट/चांदी	महिला	कमर में
6.	पैरी	गिलट/चांदी	महिला	पैर में

मादक द्रव्यों का उपयोग :–

विभिन्न संस्कारों, उत्सव, त्यौहारों में महुआ व चांवल से बनाई गई देशी शराब महुआ/हंड़िया का उपयोग करते है। देवी–देवताओं की पूजा में भी महुआ/हड़िया का होना आवश्यक माना जाता है। इसका उपयोग पुरूष महिला दोनो करते है। पुरूष तम्बाखु से बीड़ी बनाकर भी पीते है।

———0———

अध्याय – सात
धार्मिक जीवन

मानव समाज सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक तीन भागों में विभक्त होता है। इनके बिना मानव जीवन की कल्पना कर पाना मुमकिन नहीं है। मानव जीवन में धर्म का विशेष महत्व होता है। धर्म मानव को उनके परिवार से मिलता है। कभी–कभी ये उनके आस पास के माहौल एवं उनकी सोच, रहन–सहन पर भी निर्भर करता है। जनजातियों का निवास क्षेत्र वनों में होता है। इसलिए इनका धार्मिक जीवन वनों पर आधारित होता है। इनके देवी–देवता प्राकृतिक वस्तुओं जैसे सूर्य, चांद, पेड़–पौधों, पशु– पक्षियों, पहाड़ वन आदि को समर्पित होते है।

कोरवा (डीह) जनजाति में भी धार्मिक जीवन की बहुत महत्व होता है। सभी मुख्य एवं शुभ कार्यो के पहले पूजा पाठ किया जाता है। ये मुख्य रूप से अपने पूर्वजों को पूजते है। कोरवा (डीह) जनजाति के लोग अन्य जनजातियों की तरह धर्म व जादू में विशेष आस्था रखते है।

कुल देवी–देवता :–

कोरवा (डीह) जनजाति कुल देवी–देवता की पूजा सभी मुख्य त्यौहारों एवं मांगलिक कार्यो जैसे :– जन्म, विवाह के समय करते है। कुल देवी–देवता को घर के अंदर भीतर घर में रखते है, तथा वहीं उनकी पूजा की जाती है। कुल देवी–देवता की पूजा केवल घर के पुरूष मुखियां के द्वारा किया जाता है। पुरूष मुखियां की अनुपस्थिति में अन्य पुरूष सदस्यों के द्वार पूजा–किया जाता है। महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इनका पूजा करना वर्जित होता है। इसमें केवल एक ही परिवार के सदस्य या गोत्र के लोग शामिल हो सकते है। ये मुख्य रूप से खुड़ियारानी, महादेव पार्वती, लंगा बैगा, लंगा बैगीन, बुढ़ादेव आदि की कुल देवी देवता के रूप में पूजा करते है।

पूजा की विधि :–

कोरवा (डीह) जनजाति भीतर घर में पूर्वजों की पूजा करते है। पूजा–पाठ पुरूष मुखिया सदस्य करते है। पूर्वजों का नाम लेकर हवन करते है, इसमें हड़िया चढ़ाया जाता है। इसे **तरपनी** कहते है। इसके अलावा यहां अलग–अलग अवसर पर मुर्गी की बली भी दी जाती है। मुर्गी/मुर्गे के सर व कलेजे का कगोरी बनाया जाता है। इसे भीतर घर की देवी–देवता व पूर्वजों को चढ़ाया जाता है। उसके बाद इस कगोरी प्रसाद को घर के पुरूष सदस्य भीतर घर में ही ग्रहण करते हैं यहां महिलाओं का प्रवेश सख्त वर्जित होता है, एवं उन्हें प्रसाद भी नहीं दिया जाता।

प्रमुख देवी–देवता :–

1. सरना देव
2. पर्वती
3. बूढ़ा महादेव
4. खुड़िया रानी
5. लंगा बैगा/ लंगाबैगीन

कोरवा (डीह) जनजाति में प्रमुख देवी–देवता को अलग–अलग स्थानों में विभिन्न अवसरों पर पूजा जाता है। ग्राम देवी–देवता को ग्राम में रहने वालों अन्य समुदाय के लोग भी पूजते है। ग्राम देवता को सभी तीज त्यौहार में पूजा जाता हैं इनकी पूजा ग्राम में खुशहाली लाने, बिमारी या आकाल से बचाने आदि के लिया किया जाता है। सभी देवी–देवता का अलग–अलग महत्व होता है। किसी को पशुओं की रक्षा करने के लिए, किसी को अच्छी कृषि के लिए तो किसी को अपने स्वस्थ्य व मनोकामना की पूर्ती के लिए पूजा जाता है।

नवाखाई :–

नवाखाई नई फसल की खुशी में मनाया जाता है। क्वांर महीने के एकादशी के दिन जब धान की नई फसल पक जाती है। तब इस दिन नये धान को पीसकर या मंजरी को भूजकर पीसते है। और अपने वाले अपने देवताओं को चढ़ाते है। इस प्रसाद को समान (एक ही) गोत्र

वाले आपस मे बांट कर खाते है।

त्यौहार :–

जनजातियों में पर्व व त्यौहार का बहुत महत्व होता है। त्यौहार को ये बहुत उत्साह पूर्वक मनाते है। सभी त्यौहारों में इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक झलक देखने को मिलती है।

कोरवा(डीह) जनजाति में भी त्यौहार हर्षोउल्लास से मनाया जाता है। सभी आपस में मिल जुलकर त्यौहार मनाते है। महुआ/हड़िया पिया जाता है। इनमें इनकी समाज की सांस्कृतिक झलक देखने को मिलती है। कोरवा जनजाति से मुख्यतः करमा, हरेली, नवाखाई, एकादशी (देवउठनी) जीवतिया, दशहरा (दशई पूजा), दिपावली व होली त्यौहार मनाया जाता है।

करमा :–

करमा सरगुजा संभाग का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहारों में से एक है। करमा भादों माह की एकादशी को मनाया जाता है। इसे गांव में रहने वाले सभी जनजाति के लोग एक साथ मनाते है। करमा के पहले कुवारी कन्याएं भादो माह में नदी से बांस की टोकरी में रेत लेकर आती है, और उसमें धान, जवा, मक्का आदि बोती है। करमा के दिन गांव की कन्याएं इक्कठा होकर गाना गाते हुए करम वृक्ष की डाली लाने के लिए जंगलों में जाती है। लड़के वाद्य यंत्र बजाते है। करम वृक्ष की डाली को गांव के मध्य में लाकर गड़ाया जाता है। सभी कुवांरी कन्याएं अपनी–अपनी टोकरी में दीया जलाकर करमा डाली के पास एकत्रित होती है। वहां करम राजा की कहानी का पाठ होता है। इसके पश्चात सभी लड़के–लड़किया करमा गीत गाते हुए करमा नृत्य करते है।

मंत्र एवं जादू टोना :–

कोरवा (डीह) जनजाति को लोग तंत्र–मंत्र, जादू–टोना, आत्मा, भूत–प्रेत, डायन जैसी बातो पर विश्वास करते है। इनके अनुसार जादू के दो प्रकार होते है। एक तो वो है जो किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसे काला जादू कहते है, ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर इसका उपयोग करने वाली स्त्रियां ही होती है। किन्तु कुछ पुरूष भी हानिकारक जादू–टोना जानते है। जिसके द्वारा लोगों के बिमारी, मृत्यु, पशुओं, फसल आदि को नुकसान पहुचाया जाता है। इसके विपरीत इनसे बचाव करने वाले व इनसे पीड़ित

लोगों को निजात दिलाने वाले व्यक्ति **बैगा, भगत व ओझा** कहलाते है। ये लाभदायक जादू टोना या मंत्रो का उपयोग कर इनका इलाज करते है। बैगा देवी–देवताओं का पूजा व आवहन कर मंत्रों को सिद्ध करता है। काला जादू–टोना करने वाले को पहचान कर मंत्र से मारता व दण्ड भी देता है। कोरवा (डीह) जनजाति में ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म होता है यदि किसी की अकाल मृत्यु होती है अथवा कोई आत्महत्या करता है तो वो उनकी आत्मा धरती पर ही भटकती रहती है। वे भूत–प्रेत या चुड़ैल बनते है। किसी व्यक्ति के भूत पकड़ने पर इनसे छुटकारा दिलाने या भूत (आत्मा) को काबू करने के लिए बैगा मंत्रों का उपयोग कर झाड़–फूक करता है। कोई व्यक्ति कुएं व तालाब में डूब कर मर जाता है। तो उस कुएं व तालाब को भुतहा माना जाता है। ऐसी जगहो पर अकेले जाना मना होता है। बैगा ऐसी जगहो को मंत्र का उच्चारण झाड़–फूक कर बांध देते है।

–––0–––

अध्याय –आठ
लोक परम्पराएं

कोरवा (डीह) जनजाति की लोक परम्पराओं में लोग गीत, लोक नृत्य, लोक कथाएं आदि प्रचलित है। अलग–अलग क्षेत्रों के प्रभाव के कारण लोक गीत, लोक नृत्य व लोक कथाओं की बोली एवं क्रियाकलाप में अतंर हो सकता है। लेकिन इनके भाव तथा इनको मनाने के आधार में कोई अंतर नहीं है। कोरवा (डीह) जनजाति अपनी लोक नृत्य, लोक गीत व लोक कथाओं का पूर्ण आनंद लेते हुए सभी मिलकर हर्षोउल्लास से मनाते है। कोरवा (डीह) जनजाति में करमा, सुआ, डमकच, महादेव आदि प्रमुख लोक नृत्य व लोक गीत है।

लोक नृत्य व लोकगीत :–

कोरवा (डीह) जनजाति के लोग लोक नृत्य की अत्यंत शौकीन होते है। इनके सभी त्यौहारों, उत्सवों व विवाह संस्कार में लोक नृत्य का समावेश होता है।

करमा :–

करमा नृत्य भादों माह में मनाया जाता है। जीवन में कर्म की प्रधानता नृत्य का महत्वपूर्ण संदेश है। यह नृत्य लड़के तथा लड़कियां दोनों मिलकर करते है। करमा के दिन कुंवारी लड़कियां ग्राम के ही कुछ लड़कों के साथ गाते बजाते करम वृक्ष की डाली लाने जाती है। फिर उसे लाकर गांव के बीच में गाड़ दिया जाता है। पूजा–पाठ के बाद रात को सभी लड़के/लड़कियां तैयार होकर एकत्रित होते है। पूरे हर्षोउल्लास से करम के चारो ओर घूम–घूम कर करमा गीत गाते हुए नृत्य करते है। करमा का आनंद ग्राम में निवासित अन्य जाति के लोग भी लेते है। करमा का मुख्य वाद्य यंत्र मांदर होता है। इसके थाप

पर सभी झूमने लगते है। करमा नृत्य रात भर चलता है। महुआ मंद का सेवन कर के रात भर मदमस्त होकर नांचते है।

सुआ नृत्य :–

सुआ नृत्य प्रायः महिलायें व लड़कियां ही करती है। दीपावली के पूर्व से ही सुआ नृत्य किया जाता है, यह दीपावली की रात्रि में शिव–गौरा विवाह के बाद समाप्त होता है। कोरवा (डीह) जनजाति की लड़कियां व महिलायें एक टोली बनाकर समीप के ग्रामों में भ्रमण करके प्रत्येक घर के सामने गोलाकार घेरा बनाकर सुआ गीत गाते हुए नृत्य करती है। घेरे के बीच में एक युवती सिर को लाल कपड़ों से ढ़ककर उस पर बांस की टुकनी लेकर बैठी रहती है। टुकनी में धान भरकर उसमें मिट्टी के दो तोते सजाकर रखा जाता है। ये तोते शिव–पार्वती (गौरा–गौरी) के टुकनी प्रतीक माने जाते है। सुआ नृत्य व गीत प्रेम का प्रतीक है।

———0———

अध्याय –नौ
परिवर्तन समस्यां एवं सुझाव

कोरवा (डीह) जनजाति की जीवन शैली में बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। पूर्व में ये घने जंगलों में अन्य लोगों से दूर एकांत में रहते थे। लेकिन जब से ये घने जंगलों के एकांत को छोड़कर अन्य जाति/जनजातियों के साथ ग्रामों में रहने लगे है। उनसे संपर्क होने कारण मेल जोल बढ़ने लगा साथ ही, संचार के साधनों के कारण इनकी समाज एवं सांस्कृति में परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है।

आर्थिक जीवन शैली में परिवर्तन :–

अ. पूर्व में कोरवा (डीह) जनजाति पूर्ण रूप से वनो से प्राप्त होने वाले भोजन एवं संसाधन पर ही निर्भर थे। जबकि वर्तमान इनका प्राथमिक आय का साधन मजदूरी व कृषि है।

ब. पूर्व में ये बेवरा खेती करते थे। गोबर खाद व पारपरिक बीजों का उपयोग करते थे। किन्तु वर्तमान में स्थायी कृषि में उन्नत बीज व रासायनिक खादों का उपयोग करने लगे है।

स. पूर्व में इनके उपज बिचौलिये कम दामों में खरीदते थे। वर्तमान में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से वनोपज खरीदा जा रहा है। इससे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

द. कुछ कोरवा (डीह) युवक–युवती शिक्षा प्राप्त कर शासकीय नौकरी में भी आ रहे है।

भौतिक संस्कृति में परिवर्तन :–

अ. पूर्व में इनके घर घास–फूस से बने होते थे। एक घर से दूसरो घर की दूरी अधिक होती थी। वर्तमान में एक ही मोहल्ले/पारा में कई घर एक साथ देखने को मिल जाते है, तथा घर बनाने के लिए मिट्टी, ईट व खपरैल का उपयोग करने लगे है।

ब. पूर्व में कोरवा (डीह) जनजाति के लोग शरीर व घर को सफाई से नहीं रखते थे। परंतु वर्तमान में कोरवा (डीह) लोग शरीर के साथ ही घरों की साफ–सफाई भी करते है। घर की दीवारों को रंगो से पोताई करते है।

स. पूर्व में कोरवा (डीह) के लोग खाना बनाने खाने व पीने के लिए मिट्टी के बर्तनो का उपयोग करते थे। वर्तमान में इनकी जगह एल्युमिनियम, स्टील, व लोहे के बर्तनों ने ले ली है।

द. पूर्व में मनोरंजन के साधन के रूप कुछ वाद्य यंत्र एवं पारंपरिक खेलकूद ही थे परतु अब इनकी जगह रेडियों, टी.वी., मोबाईल आदि आ गये है।

ई. पूर्व में एक स्थान से दूसरे स्थान पैदल ही आना जाना करते थे। वर्तमान में मोटर–सायकल, बस आदि का उपयोग करते है।

फ. पांरपरिक एवं वर्तमान के वेश–भूषा में अतंर देखने को मिलता है। वर्तमान में महिलाये साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट व पुरूष पेंट एवं शर्ट पहनने लगे है।

सामाजिक व शैक्षणिक स्थिति में परिवर्तन :–

1. जातिगत भेदभाव में कुछ कमी आई है।
2. जजमानी प्रथा में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। पूर्व में काम के बदले वस्तु दिया जाता था। वर्तमान में पैसा दिया जाता है।
3. शिक्षा के स्तर में भी बहुत परिवर्तन आया है। वर्तमान में कोरवा (डीह) परिवार बालक/बालिकाओं को शाला भेजने लगे है। कई लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर शासकीय सेवाओं में आ रहे है। इससे इनके सामाजिक शैक्षणिक व आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

जीवन चक्र में परिवर्तन :–

1. पूर्व में प्रसव कार्य घर में दाई या बुजुर्ग महिलाओं के द्वारा किया जाता था। वर्तमान में प्रसव कार्य अस्पताल में होता है। अन्यथा प्रशिक्षित दाई व नर्स को भी बुलाने लगे है।

2. बच्चों के नाम में भी परिवर्तन आया है।
3. पूर्व में युवक/युवतियों का विवाह कम उम्र में हो जाता था। वर्तमान में ये शासन द्वारा निर्धारित उम्र में ही विवाह कर रहे है। विवाह के परम्परागत वस्त्रों की जगह युवक पेंट–सर्ट पहनना ज्यादा पसंद करते है।
4. पूर्व में स्वास्थ्य खराब होने पर पारम्परिक उपचार व झाडंफूक पर निर्भर रहते थे। वर्तमान में उपचार के लिए चिकित्सालय भी जाने लगे है।

राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन :–

कोरवा (डीह) जनजाति में राजनैतिक परिवर्तन देखने को मिलता है। जाति पंचायत का महत्व कम होने लगा है। इसका स्थान धीरे–धीरे आधुनिक ग्राम पंचायत ले रहा है। जमीन विवाद, मारपीट आपसी विवाद के लिए कई लोग पुलिस व कोर्ट भी जाने लगे हैं अब ये लोग आधुनिक पंचायत व राजनीति में भी हिस्सा लेते है।

समस्याएं एवं सुझाव

आर्थिक समस्या

1. कोरवा (डीह) जनजाति की खेती प्रायः असिचिंत है। सिंचाई की सुविधा कम होने के कारण, खेती के पर्याप्त उपकरण उन्नत कृषि का ज्ञान, अच्छे खाद व बीज कम उपलब्ध होने के कारण व आर्थिक तंगी के कारण ये लोग जो खेती करते है उससे कृषि उत्पादन कम होता है, और इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर ही रहती है।
2. कृषि के अलावा ये लोग वर्ष भर मजदूरी भी नहीं करते है।
3. पशुओं की नस्ल व पशुपालन की पद्धति भी पुरानी है।
4. वनोपज की मात्रा कम उपलब्ध होने के कारण ये बहुत कम मात्रा में वनोपज एकत्रित कर पाते है।
5. कोरवा (डीह) जनजाति की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर होती है। ऐसे में सामाजिक रीति रिवाज जैसे विवाह, मुत्यु भोज समाज व गांव वालों को भोज कराने के लिए इन्हें कभी–कभी कर्ज लेना पड़ता है। इससे इन पर आर्थिक बोझ

बढ़ता है। समस्त साधनों से इनकी वार्षिक आय इतनी नहीं हो पाती है कि परिवार की समस्त आवश्यताओं की पूर्ति कर पाये तो बचत कर पाना इनके लिये मुमकिन नहीं हो पाता है।

सामाजिक व शैक्षणिक समस्याएं एवं सुझाव :–

1. कोरवा (डीह) जनजाति में नशाखोरी सबसे बड़ी समस्या है। सभी सुख दुख एवं सामान्य अवसरों पर पुरूष, महिलाओं तथा युवाओं के द्वारा महुआ से बनी शराब का सेवन किया जाता है।
   सुझाव :–सामाजिक स्तर से नशे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

2. वर्तमान में भी कुछ कोरवा (डीह) परिवार स्वास्थ्य खराब होने पर चिकित्सालय जाने से पहले बैगा–गुनिया के पास झाड़–फूक करवाते है।
   सुझाव :– शासन स्तर पर आधुनिक चिकित्सा पद्धति से इलाज हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

3. वनांचलों में निवासरत कोरवा (डीह) जनजाति में शिक्षा की कमी होने के कारण कुछ लोग वर्तमान में भी कम उम्र में विवाह कर देते है।
   सुझाव :–लोगों को शिक्षा के प्रति और अधिक जागरूक किया जाना चाहिए या सामाजिक स्तर पर विवाह की निर्धारित आयु में विवाह हेतु सामाजिकजनों को प्रेरित किया जाना चाहिए।

4. कोरवा (डीह) जनजाति में बच्चों की शिक्षा के प्रति अभी भी जागरूकता कमी है। बच्चें पढ़ाई बीच में छोड़ देते है। बहुत कम बच्चें ही पढ़ाई पूरी कर पाते है।
   सुझाव :–पालको को शिक्षा का महत्व समझाया जाए तथा बच्चों को शिक्षा हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य समस्याएं एवं सुझाव :–

1. कोरवा (डीह) जनजाति के लोग वर्तमान में भी स्वास्थ्य खराब होने पर भूत–प्रेत, जादू–टोना, नजर लगना जैसी बाते मानकर पहले उपचार हेतु अपने परपरागत बैगा–गुनिया पास चले जाते है। इनका भूत–प्रेत, जादू–टोना नजर लगना जैसी बातो पर अभी भी विश्वास बना हुआ है।
   सुझाव :–डिहारी कोरवा परिवारों को वैज्ञानिक स्तर विकसित किया जाना चाहिए।

2. इनके सामाजिक रीतिरिवाज में नशाखोरी सबसे बड़ी समस्यां है। मादक पदार्थो से आदि इनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है।
   सुझाव :–सामाजिक रीति रिजाज में रस्म को छोड़कर अन्य समय में नशाखोरी पर सामाजिक स्तर पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

3. शिक्षा व जानकारी के अभाव में इनमें साफ–सफाई की भी कमी देखने को मिलती है। जैसे खाना खाने से पहले व शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, आस–पास सफाई नहीं रखने से मच्छरों द्वारा प्रकोपित बिमारी का शिकार हो जाना आदि।
   सुझाव :–स्वच्छता का प्रसार–प्रचार किया जाना चाहिए। अस्वच्छता से फैलाने वाले बिमारियों के बारे में जानकारियां देनी चाहिए।

———**0**———

उपसंचालक
आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
क्षेत्रीय इकाई अम्बिकापुर, सरगुजा छ.ग.

डिहारी कोरवा का मानवशास्त्रीय अध्ययन

संचालनालय आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
सेक्टर-24, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
फोन : 0771-2960530, E-mail : trti.cg@nic.in, web. : www.cgtrti.gov.in